



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2013/माघ 9, 1934

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2013/MAGHA 9, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2013

का.आ. 282(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2255(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के 95.000 कि.मी. से 100.000 कि.मी. (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 24 अक्टूबर, 2012 को “संदेश” और “इण्डियन एक्सप्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप नहीं प्राप्त हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के 95.000 कि.मी. से 100.000 कि.मी. तक (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश बार्डर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक/सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	यूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मूल ब्लॉक/सर्वेक्षण संख्या	पैकी संख्या				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	वडोदरा	सावली	उदलपुर	10		निजी	गैर कृषि	0 - 01-74	योगी कवोरी वर्क्स के पार्टनर जसभाई सोमाभाई पटेल विठ्ठलभाई सोमाभाई पटेल जयतीभाई सोमाभाई पटेल रमेशभाई सोमाभाई पटेल
				21		निजी	कृषि	0-03-40	पटेल दिलिपभाई मनीभाई पटेल वसंतभाई मनीभाई

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी-अहमदाबाद/रा.रा. 59/वडोदरा]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2013

S.O. 282(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O 2255 (E). dated 20th September 2012**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 59 on the stretch of land from **Km 95.000 to Km 100.000 (Ahmedabad - Gujarat /MP Border Section)** in District Vadodara in the State of Gujarat;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Sandesh**” and “**Indian Express**” both dated 24th October, 2012 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the **Competent Authority**.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 95.000 to Km 100.000 (Ahmedabad - Gujarat/MP Border) on the National Highway No. 59 in the State of Gujarat									
Serial number	Name of the district	Name of Taluk	Name of village	Block / Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of Land Owner/ Interested Persons
				Original Block/ Survey No.	Paiki No.				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Vadodara	Savli	Udalpur	10		Private	Non-Agricultural	0 - 01-74	Yogi Kowori Works Partener's Jasbhai Somabhai Patel Vittalbhai Somabhai patel Jayanti bhai Somabhai patel Rameshbhai Somabhai patel
				21		Private	Agricultural	0-03-40	Patel Dilipbhai Manibhai Patel Vasantbhai Manibhai

[F. No. NHA1/BOT-Ahmedabad/NH-59/Vadodara]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.